

C O N T E N T S

**Fifteenth Series, Vol. XXXIV, Fourteenth Session, 2013/1935 (Saka)
No.7, Wednesday, August 14, 2013/Sravana 23, 1935 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
 REFERENCE BY THE SPEAKER	
Loss of lives in coalmine collapse at Kulda, Odisha	2
 SUBMISSIONS BY MEMBERS	
(i) Re: Resolutions passed by National Assembly of Pakistan condemning India for unprovoked aggression	3
(ii) Re: Judgement of Supreme Court in appointing faculties in AIIMS	6-15
 WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.121 to 140	16-93
Unstarred Question Nos.1381 to 1610	94-612

* Due to continuous interruptions in the House, Starred Questions could not be taken up for Oral Answers. Therefore, these Starred Questions were treated as Unstarred Questions.

PAPERS LAID ON THE TABLE	613-618
MESSAGES FROM RAJYA SABHA AND BILL AS AMENDED BY RAJYA SABHA	619-620
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS 36th Report	620
COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES Report of Study Tour	620
STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT (i)42nd to 45th Reports (ii)Statements	620 621
STATEMENT BY MINISTER Status of implementation of the recommendations contained in the 240 th Report of the Standing Committee on Industry, pertaining to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. Shri K.H. Muniyappa	622
BUSINESS OF THE HOUSE	623-626
MOTION RE: FIFTIETH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	627
MATTERS UNDER RULE 377	635-650
(i) Need to utilize funds sanctioned for improvement and refurbishment of the Nahar Singh Stadium in Faridabad, Haryana Shri Avtar Singh Bhadana	636

- (ii) Need to convert rail line between Mavli Junction and Marwar Junction in Rajasthan into broad-gauge
Shri Gopal Singh Shekhawat 636
- (iii) Need to permit allocation of funds from MPLAD Scheme to supplement the efforts to improve educational facilities in districts/areas covered under Backward Regions Grant Fund Programme
Dr. Vinay Kumar Pandey 637
- (iv) Need to ensure electrification of villages under Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana in Odisha
Shri Hemanand Biswal 638
- (v) Need to implement rail projects sanctioned for Bharatpur Parliamentary Constituency in Rajasthan in previous Rail Budgets
Shri Ratan Singh 639
- (vi) Need to revise the service rules to appoint dependants of deceased service personnel immediately on compassionate ground
Shri Charles Dias 640
- (vii) Need to formulate a programme for imparting higher and technical education to youth in tribal dominated regions of the country
Shri Marotrao Sainuji Kowase 641
- (viii) Need to create a new Railway zone in Kerala
Shri N. Peethambara Kurup 642

- (ix) Need to open a new CGHS Dispensary in Jabalpur, Madhya Pradesh
Shri Rakesh Singh 643
- (x) Need to improve internet facilities in Ghoghamba tehsil in Chhota Udaipur Parliamentary Constituency, Gujarat
Shri Ramsinh Rathwa 644
- (xi) Need to augment rail services in Banaskantha Parliamentary Constituency, Gujarat
Shri Haribhai Chaudhary 645
- (xii) Need to construct Road Over bridge on Dhanbad-Gaya and Dhanbad-Katiras railway lines in Dhanbad parliamentary constituency, Jharkhand
Shri Pashupati Nath Singh 646
- (xiii) Need to repair and renovate the stretch of N.H.-47 between Mannuthy and Wadakkancherry in Kerala
Shri P.K. Biju 647
- (xiv) Need to construct an Over Bridge or Bye-pass road on N.H. 6 in Keonjhar, Odisha
Shri Yashbant Laguri 648
- (xv) Need to constitute a 'Cow Board' to protect cows in the country
Shri Chandrakant Khaire 648
- (xvi) Need to include Salem City in Tamil Nadu under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) phase II
Shri S. Semmalai 649

- (xvii) Need to evolve a mechanism to ensure proper utilization of funds and execution of schemes under Corporate Social Responsibility by PSUs

Shri Bibhu Prasad Tarai 650

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
(AMENDMENT) BILL, 2013 (AS PASSED BY
RAJYA SABHA)–Withdrawn** 651

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
(AMENDMENT) BILL, 2013 – Introduced** 652

**STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL
OF NATIONAL FOOD SECURITY ORDINANCE
AND
NATIONAL FOOD SECURITY BILL, 2013** 655

Prof. K.V. Thomas 655

**RESOLUTION RE: CONDEMNING THE ACTION
OF PAKISTAN ARMY AND CALLING UPON
GOVERNMENT OF PAKISTAN TO ABIDE BY
CEASEFIRE COMMITMENT** 656-657

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 658

Member-wise Index to Unstarred Questions 659-664

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 665

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 666-667

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Franciso Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Shri Satpal Maharaj

Shri Jagdambika Pal

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, August 14, 2013/Sravana 23, 1935 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

REFERENCE BY THE SPEAKER

Loss of lives in coalmine collapse at Kulda, Odisha

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I have to inform the House that eleven persons are reported to have lost their lives and several others injured in a coalmine collapse at Kulda in the Sundargarh district of Odisha on August 10, 2013.

The House expresses its profound sorrow on this tragic incident which has brought pain and suffering to the bereaved families and wishes a speedy recovery to the injured.

The House may now stand in silence for a short while as a mark of respect to the memory of the departed.

11.01hrs

The Members then stood in silence for a short while.

—————
... (Interruptions)

11.02 hrs

At this stage, Shri Shri K. Narayan Rao and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Question Hour. Q.121.

... (Interruptions)

11.02 ½ hrs.

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) Re: Resolutions passed by National Assembly of Pakistan condemning India for unprovoked aggression

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): I have given notice to suspend the Question Hour.... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri Jaswant Singh to speak.

... (*Interruptions*)

SHRI JASWANT SINGH (DARJEELING): Madam, a most unusual and unacceptable situation has arisen after the two Resolutions adopted by the Provincial Assembly of Punjab of Pakistan and the National Assembly of Pakistan. They are unacceptable because they comment irregularly and wrongly on happenings within India. It is totally uncalled for. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go into the record except Shri Jaswant Singh's remarks.

(*Interruptions*) ...*

SHRI JASWANT SINGH :Madam, I should be given permission to mention that with your consent a unanimous resolution be adopted by the House condemning the ceasefire line violation and these two Resolutions.... (*Interruptions*)

* Not recorded.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI KAMAL NATH): The House must speak in one voice on this. We will work towards a statement during the course of the day and a common resolution to be moved.... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, as has been just suggested, we will bring a unanimous resolution for the Members of the House to endorse.

... (*Interruptions*)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): अध्यक्ष महोदया, मैं एक बहुत ही गंभीर सवाल सदन के सामने उठाना चाहता हूँ. भारत सरकार की ओर से जो मिड-डे-मील योजना चलाई जाती है, उसके बारे में अखबारों में आये दिन कोई-न-कोई घटना सामने आती रहती है। देश का कोई भी हिस्सा इससे बचा नहीं है, चाहे दिल्ली हो या कोई और प्रदेश हो और बिहार में तो इस संबंध में रिकार्ड ही बन चुका है जहां मिड-डे-मील में या स्कूल के चापाकल में छिपकली के मरने की घटना होती रहती हैं। खास कर दिनांक 16.07.2013 को छपरा जिले के मसरक प्रखंड ग्रामीण नवसृजित विद्यालय में विषाक्त भोजन की वजह से 23 बच्चों की जान चली गई और काफी लोग बीमार हो गए।...(व्यवधान)

11.04 ½ hrs.

At this stage, Shri Tufani Saroj and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.



...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, जब इन सवालों को हमने मीडिया के माध्यम से बिहार सरकार के सामने उठाया, तो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री चुप्पी साधे रहे।...(व्यवधान)

11.05 hrs.

At this stage, Shri Dinesh Chandra Yadav and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

...(व्यवधान)

बिहार के मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों के बाद बयान दिया कि इस घटना में विपक्ष का हाथ हो सकता है। अध्यक्ष महोदया, हमारा आपसे निवेदन है कि इस घटना को गंभीरता से लिया जाए। केंद्र का निर्देश बराबर जारी होता रहता है कि मिड-डे-मील योजना कैसे चलती है। योजना का जो निर्देश जारी होता है, उसका अनुपालन सही ढंग से नहीं होने के कारण इस तरह से बिहार में बच्चों के मरने की घटना हुई है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। मेरी नज़र में इस घटना की मुख्य जिम्मेदारी बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री और छपरा के कलेक्टर की बनती है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): ...* अगर इस मामले में विलम्ब किया गया तो काफी परेशानी हो सकती है। इस समय बिहार में काफी तनाव का वातावरण बना हुआ है और बिहार सरकार इस घटना को दबाने की कोशिश कर रही है।... (व्यवधान)

11.06 hrs.

At this stage, Shri Tufani Saroj, Shri Dinesh Chandra Yadav and some other hon. Members went back to their seats.

... (व्यवधान)

* Not recorded as ordered by the Chair.

11.07 hrs.

SUBMISSIONS BY MEMBERS- Contd...

(ii) Re: Judgement of Supreme Court in appointing faculties in AIIMS

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष जी, मैं और सारे सदन के लोग इस बारे में बेचैन हैं। इन लोगों ने जो फैसला लिया है कि सुपरस्पेशियलिटी और स्पेशियलिटी में कौन-सी पोस्ट होगी और कौन-सी नहीं होगी।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

श्री शरद यादव : ये मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अलतमस कबीर ने जाते समय, एक दिन पहले, इस तरह का फैसला किया, जिसमें आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग को पूरी तरह से समाप्त करके सिर्फ सी-ग्रेड और डी-ग्रेड में रहने दिया। सरकार को, मंत्री श्री कपिल सिब्बल को इस बारे में जवाब देना चाहिए कि इस बारे में क्या रास्ता निकाला जाएगा? कौन रास्ते से इसे खत्म किया जाएगा? यह इतना बड़ा मामला है कि जो 85 फीसदी लोग हैं, इनका हक है, सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं बल्कि पांच-छह बार इसमें दखल देने का काम करती है।... (व्यवधान) उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है। इसके बाद भारतीय समाज में झुनझुना पकड़ाया गया है। आज ये लोग आरक्षण के इस झुनझुने को चुरा रहे हैं।... (व्यवधान) हम आरक्षण वाले नहीं हैं। मैं तो चाहता था कि इस मामले को सुषमा जी उठाएं। पहले इसे लोहिया जी उठाते थे, जयप्रकाश जी उठाते थे, मधुलिमये जी उठाते थे, राजनारायण उठाते थे, मुझे अफसोस है कि आज मैं इस मामले को सदन में उठा रहा हूँ। मैं तो देश भर के लोगों का मामला सदन में उठाता हूँ। लेकिन यह जो फैसला है आप किस रास्ते से इसे निरस्त कराएंगे? किस रास्ते से इसका हल निकलेगा?... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सदन का काम ठीक नहीं चल रहा है लेकिन यह दस मिनट का मामला था। आप जानती हैं, आपसे सभी लोग मिले हैं। ... (व्यवधान) आज यह मामला पूरे देशभर में गर्म हो रहा है। बेकार की बात पर, कोई मुद्दा नहीं है।... (व्यवधान) आज देश की आर्थिक स्थिति खराब है, महंगाई बढ़ रही है। प्याज के दाम आज कहां पहुंच गए हैं, लेकिन हम यह मामला नहीं उठाना चाहते हैं।... (व्यवधान) मैं सरकार से नम्र निवेदन करूंगा कि उसे तत्काल इस बारे में जवाब देना

चाहिए कि इसका क्या रास्ता निकाला जा सकता है और जो हक मारा गया है, उसे कैसे वापिस किया जाए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री पी.एल. पुनिया, श्री सुरेन्द्र सिंह नागर और श्री कमल किशोर कमांडो अपने आपको श्री शरद यादव द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करते हैं।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला किया है, वह पूरी तरह असंवैधानिक है, क्योंकि सदन सर्वोच्च है और इस सदन में सर्वसम्मति से ही आरक्षण लागू हुआ है। यह किसी एक दल का फैसला नहीं है, पूरे हाउस ने मिलकर आरक्षण स्वीकार किया है।...(व्यवधान) लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर आरक्षण को खत्म कर सकता है और क्यों कर सकता है?...(व्यवधान) सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि यह मामला केवल एम्स से संबंधित था।...(व्यवधान) यह मामला एम्स से संबंधित था और वहां के दो डॉक्टरों का था।...(व्यवधान) यह पूरा का पूरा खत्म कर दिया। मामला एम्स का था।...(व्यवधान) ऐसा कर दिया कि जहां कोई मुद्दा नहीं था। इससे ज्यादा और संविधान का पक्षपातपूर्ण कोई निर्णय नहीं हो सकता और इस पर हम ज्यादा बहस नहीं करना चाहते।...(व्यवधान) हमारे कपिल सिब्बल साहब और संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, इसको तत्काल रिव्यू नहीं, निरस्त करिए। हाउस के अंदर अभी पेश करिए और इसको तत्काल निरस्त कर दीजिए।...(व्यवधान) ...* अब क्या कोई चुप रहेगा? ...(व्यवधान) लोग खड़े होंगे। आंदोलन सड़कों पर होगा। हिंसा भी होगी। आगजनी तक होगी। यह मामूली बात नहीं है।...(व्यवधान) हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, अब कृपया करके अपनी बात समाप्त करिए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सैनानी थे। ...(व्यवधान) इन सारे लोगों ने मिलकर आरक्षण को स्वीकार किया है।...(व्यवधान) इसलिए हमारी सरकार से अपील है कि तत्काल इसको निरस्त कीजिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री मुलायम सिंह जी द्वारा उठाये गये विषय के साथ श्री कमल किशोर 'कमांडो' को भी एसोशिएट किया जाए।

...(व्यवधान)

* Not recorded as ordered by the Chair.

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। आज जिस सवाल को लेकर चर्चा हो रही है, आरक्षण कोई भीख नहीं है, हमारा अधिकार है। ...(व्यवधान) हम पार्लियामेंट के अंदर तो संविधान की शपथ लेकर यहां आते हैं।...(व्यवधान) संविधान में हमें हक है कि इस देश में जो भी आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ...(व्यवधान) एम्स में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में वहां प्रोफेसर के सवाल को लेकर जब आरक्षण नहीं था, तब आरक्षण को लेकर ...(व्यवधान) एम्स के बहाने पूरे हिन्दुस्तान में जिस तरीके से एस.सी.एस.टी. ओबीसी के लोगों को ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बस, अब आपकी बात हो गयी। अब अपने आप को इससे सम्बद्ध करिए।

...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदया, यह साजिश हो रही है, मैं यह कहना चाहता हूं। कल ऑल पार्टी मीटिंग में भी हमारी पार्टी ने कहा था कि जब राज्य सभा में एस.सी.एस.टी. ...(व्यवधान) पास हुआ और अगर लोक सभा में पारित हो गया होता तो शायद यह आदेश इस तरीके से जारी नहीं किया जाता।...(व्यवधान) इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय कानून मंत्री जी से जानना चाहता हूं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बस अब अपनी बात समाप्त करिए। Please do not make it long.

... *(Interruptions)*

अध्यक्ष महोदया : माननीय सांसद श्री सुरेन्द्र सिंह नागर, श्री कमल किशोर 'कमांडो' और श्री वीरेन्द्र कुमार को भी श्री दारा सिंह चौहान द्वारा उठाये गये विषय के साथ एसोशिएट किया जाए।

...(व्यवधान)

SHRI T.K.S. ELANGO VAN (CHENNAI NORTH): Madam Speaker, the issue of reservation was well-settled by the hon. Supreme Court of India that consisted of 12-Member Judges, but these Judges did not distinguish in posts. ... *(Interruptions)* They did not say that this reservation is only for lower level posts and not for higher level or highly technically qualified posts. ... *(Interruptions)* Now the Supreme Court is deviating or violating the earlier judgement. ... *(Interruptions)* So, the Government should immediately intervene and see that it is rectified. ... *(Interruptions)*

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I support the contention of Shri Sharad Yadav and Shri Mulayam Singh on the issue of reservation for higher technical posts. ... (*Interruptions*) The judgement given by Supreme Court on the question of appointment of a Professor in AIIMS is not in consonance with the Constitution nor with the dreams of the founding fathers of the Constitution. ... (*Interruptions*) We demand that suitable legal measures to be taken by the Government, so that people of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes get their reservation in higher technical posts. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Dr. Thambidurai. Please be very brief.

... (*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam, I am supporting the sentiments of the Members who raised this issue regarding reservation. ... (*Interruptions*) Reservation is a very essential thing. ... (*Interruptions*) It is given in the Constitution for the upliftment of the affected people. ... (*Interruptions*) In this circumstance, how has the Supreme Court given a judgement against the spirit of the Constitution? ... (*Interruptions*) Therefore, it is not acceptable... (*Interruptions*) The Government has to come forward to rectify this thing, and restore the supremacy of Parliament and also give reservation to the affected people. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri P. L. Punia. Please be very brief.

... (*Interruptions*)

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): माननीय अध्यक्ष महोदया, दारा सिंह चौहान जी और अन्य सम्मानित सदस्यों ने जो मामला उठाया है, मैं इससे अपने आपको पूरी तरह सम्बद्ध करता हूँ। यह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से संबंधित मामला है। वर्ष 2002 से यह मामला पेंडिंग था। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लग रहा था तब मैं माननीय कानून मंत्री जी से मिला था और मैंने अनुरोध किया था कि दुर्भावना से इसकी सुनवाई शुरू हो रही है। मैं दुर्भावना शब्द का विशेष उल्लेख इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की अनेक जजमेंट का हवाला दिया गया है। आर्टिकल 335 का भी हवाला दिया गया है जिसके आधार पर यह पूरा फैसला है। लेकिन इसमें उन्होंने यह नहीं लिखा कि आर्टिकल 332, 335 में भी इसी

संसद ने संशोधन किया है और करने के बाद विशेष उल्लेख किया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए फिक्स स्टैंडर्ड में रिलेक्सेशन करने की पावर भी है। वे चाहते थे और उन्होंने तय किया हुआ था कि क्या फैसला करना है। हमारे पक्ष में जितने बिंदु थे, रिजर्वेशन देने के पक्ष में जितने बिंदु थे, उसकी उन्होंने घोर उपेक्षा की है। इससे साबित होता है और आज यह हाइलाइट करता है कि ज्यूडिशियरी में रिजर्वेशन की आवश्यकता बहुत दिनों से है। आर्टिकल 312 में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि इंडियन ज्यूडिशियल सर्विस का गठन होना चाहिए लेकिन इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है और दलितों और गरीबों की जानबूझकर उपेक्षा की जा रही है। इस जजमेंट से स्पष्ट हो रहा है कि हमारे पक्ष के जितने भी बिंदु थे, उनकी उपेक्षा करके एक तरफा फैसला यानी जो पहले से तय कर रखा था, प्रिजुडिस की भावना से तय कर रखा था, वही तथ्य देकर, वही आर्गुमेंट देकर गलत फैसला किया है।

मैं समझता हूँ कि पूरे सदन की यह भावना है कि इसका उपाय किया जाना चाहिए। मेरी मांग है कि इस जजमेंट को रिवर्स करने की तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया : श्री पन्ना लाल पुनिया जी द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ श्री सुरेन्द्र सिंह नागर, श्री कमल किशोर 'कामांडो' को संबद्ध किया जाए।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): माननीय अध्यक्ष महोदया, यह विषय भाई शरद यादव जी ने उठाया है। आपको याद होगा कि एक दिन पहले आपके कक्ष में सभी नेता बैठे थे तब यह विषय उन्होंने उठाया था। यह विषय गंभीर इसलिए हो जाता है कि एम्स फेकल्टी ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, उसका विषय बहुत सीमित था कि सुपर स्पेशिएलिटी में रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं। लेकिन जजेज़ ने उसके स्कोप से आगे जाकर निर्णय दे दिया कि इंदिरा साहनी केस के मामले में हम केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को कहते हैं कि वे उसका पालन करें। जो विषय जजेज़ के सामने नहीं था, उस पर भी उन्होंने टिप्पणी कर दी और इसी से यह एजिटेशन आया। इस पर मैंने वहां सुझाव दिया था कि सरकार एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे और बताए कि वह इस पर क्या करना चाहती है। कल उसी समझ के अनुसार बैठक हुई। उस बैठक में जो मुद्दे सरकार ने रखे, उसमें पहला मुद्दा यही था। वहां कानून मंत्री ने सरकार की स्थिति बताते हुए कहा था कि वे एक पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करने जा रहे हैं और सोमवार को रिव्यु पैटिशन दायर हो जाएगी। इस पर उन्होंने यह भी कहा था कि जो टिप्पणी की गई है यह 'beyond the scope of the subject' थी, इसे निकालने की दरखास्त दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वहां से राहत मिल गई तो ठीक है, और अगर राहत नहीं मिली तो संवैधानिक तरीका अपनाना होगा। आज सारे सदस्य एजिटेटिड हैं इसलिए मैं चाहूंगी कि जो बात कल

सर्वदलीय बैठक में कही गई थी वही बात कानून मंत्री आज सदन में खड़े होकर कह दें ताकि सारे सदन की आश्वस्ती हो जाए। अगर कानून मंत्री यह कह देंगे कि हम यह करने जा रहे हैं तो लोग आश्वस्त हो जाएंगे।

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ श्री अर्जुन मेघवाल, श्री वीरेन्द्र कश्यप, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्री वीरेन्द्र कुमार, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, श्री सोहन पोटाई, श्री रामसिंह राठवा, श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल को संबद्ध किया जाए।

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY AND MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI KAPIL SIBAL): Madam, may I intervene?

MADAM SPEAKER: There are still other Members who want to speak. Dr. Sanjeev Ganesh Naik.

... (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam, you have not allowed me to speak.

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिए।

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please sit down. Hon. Member, please be very brief.

... (Interruptions)

श्री श्रीपाद येसो नाईक (उत्तर गोवा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा कहना है कि कानून मंत्री इस बारे में सदन में बात करें और सदन को आश्वस्त करें कि इस पर सरकार सही कदम उठाएगी।... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, please be brief.

... (Interruptions)

श्री बसुदेव आचार्य : मैडम, 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, श्री अल्लमश कबीर ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन जो राय दी है, उसका दुष्प्रभाव हमारे देश भर पर पड़ेगा। हमारे देश में जो आरक्षण की नीति है, आरक्षण का अधिकार है, इस अधिकार को छीनने के लिए इस तरह की राय दी गई है। परंतु ताज्जुब की बात यह है कि करीब एक महीना गुजर गया है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। जब एक जुलाई को तमाम नेताओं ने ऑल पार्टी मीटिंग में मांग की थी कि इस स्टेज पर सरकार विचार करे और इस राय को रिवर्स करने के लिए जो उचित कदम उठाना चाहिए, वह कदम सरकार उठाये। लेकिन आज तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके कारण आज देश भर में इसका विरोध हो रहा

है। यह जो राय है, यह दलित विरोधी राय नहीं, यह राय शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स विरोधी नहीं, बल्कि इस राय को हम राष्ट्र विरोधी राय मानते हैं।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बसुदेव आचार्य जी, प्लीज कनक्लूड।

श्री बसुदेव आचार्य : इसीलिए हम चाहेंगे कि कानून मंत्री ने जो ऑल पार्टी मीटिंग में बताया था... (व्यवधान) वह सदन को बतायें।

अध्यक्ष महोदया : श्री गुरुदास दासगुप्ता जी, आप बोलिये।

... (व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA(GHATAL) : Madam, the Government must make a declaration that they are ready for amendment of the Constitution in this Session of the Parliament to protect the rights of the underprivileged. Reservation in services is not a luxury; reservation is a right because there are disempowered people in the society and these disempowered people must be protected by the amendment of the Constitution. The Government must declare that they will bring an amendment to the Constitution in this Session. I want this from the Government... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Gurudas Dasgupta ji, Thank you so much. Please conclude.

... (*Interruptions*)


श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): अध्यक्ष महोदया, एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों का आरक्षण संवैधानिक अधिकार है, इस अधिकार का हनन किसी भी तरह नहीं होना चाहिए, न ही इसके लिए कोई प्रयास करना चाहिए। इसीलिए जैसा सुषमा जी ने कहा है और जैसे कल सर्वदलीय नेताओं की बैठक में मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि वह इस संदर्भ में रिव्यू पैटीशन डालने जा रहे हैं और यदि आवश्यकता पड़ी तो वह अमैन्डमैन्ट लाने जा रहे हैं। हमारा कहना है कि आप अमैन्डमैन्ट लाइये, सारा सदन आपका समर्थन करेगा।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The issue that has been raised since the beginning of the Monsoon Session is related to provide reservations for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBCs in superspeciality institutions. There is a great demand and there is an urgent need to make the constitutional amendments as quickly as possible. The Court should not transgress its limit. The

provision that is provided in the Constitution of India should be respected by all quarters. In that respect, I demand that if a Review Petition is being filed by the Government, I welcome it. At the same time, I would say that it is necessary to bring the constitutional amendment. We would all abide by that decision....

(Interruptions)

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन (फ़रीदकोट): मैडम, यह बड़ा संवेदनशील मसला है। मैं शिरोमणि अकाली दल की तरफ से इससे सहमत हूँ और जो हमारा दलित भाईचारा है, हर मोड़ पर उनके साथ भेदभाव हो रहा है। जैसे सभी मैम्बर्स ने आपसे रिक्वेस्ट की है, मैं शिरोमणि अकाली दल की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि संविधान में जो प्रावधान है, उसमें अमैन्डमेंट होना चाहिए, क्योंकि जो दलित लोग हैं, वे उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, जहां वे पहुंचना चाहते हैं। उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं कि वे इलीट क्लास का मुकाबला कर सकें। उनके बच्चे कॉनवेंट स्कूलों में नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे हायर क्लास में बच्चों को पढ़ा सकें। इसलिए मैं शिरोमणी अकाली दल की तरफ से इसका विरोध करती हूँ।

SHRI KAPIL SIBAL: Madam Speaker, I want to, first of all, endorse all the observations and sentiments expressed by  all the distinguished Members of this House. मैं आज आपके माध्यम से सदन को आश्वासन देना चाहता हूँ कि आरक्षण एक संवैधानिक हक है। ...(व्यवधान) इस संवैधानिक हक पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूँ जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने था, वह सुपर-स्पेशियलिटी और स्पेशियलिटी के संबंध में था। ...(व्यवधान) लेकिन उन्होंने आगे बढ़ कर कुछ ऐसे ऑब्ज़रवेशंस की हैं ...(व्यवधान) जो कि नहीं होने चाहिए थे। ...(व्यवधान) हम समझते हैं कि वे ऑब्ज़रवेशंस आबिटर हैं। ...(व्यवधान) उन ऑब्ज़रवेशंस को रद्द करना चाहिए। ...(व्यवधान) मैं सोमवार को याचिका डाल कर उनसे रिव्यू मांगूंगा। ...(व्यवधान) और रद्द करने की मांग करूंगा। ...(व्यवधान)

11.27 hrs.

At this stage Shri Shailendra Kumar, Shri Maheshwar Hazari and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

श्री कपिल सिबल: अगर सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द नहीं करती है ...(व्यवधान) तो हम संवैधानिक संशोधन लाएंगे। ...(व्यवधान) हम उसको रद्द करवाएंगे। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Let him finish.

... *(Interruptions)*

11.27 ½ hrs.

At this stage, Shri Shailendra Kumar and some other hon. Members went back to their seats

SHRI KAPIL SIBAL: I said already अगर हमारी रिब्यू पिटीशन नहीं मानी गई तो हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाएंगे। ...(व्यवधान) हम यह आश्वासन देना चाहते हैं। ...(व्यवधान) हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसी सेशन में लाएंगे। ...(व्यवधान) मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जहां तक आरक्षण का मामला है ...(व्यवधान) हमारी पार्टी सबसे आगे रही है। ...(व्यवधान) पहल करती है। ...(व्यवधान) जब-जब यह आरक्षण का मुद्दा उठाया गया है ...(व्यवधान) हमने उसको आगे बढ़ाया है। ...(व्यवधान) हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया है। ...(व्यवधान) संवैधानिक हक कांग्रेस पार्टी ने दिए। ...(व्यवधान) संवैधानिक हक आप लोगों ने नहीं दिए। ...(व्यवधान) संवैधानिक हक कांग्रेस पार्टी ने दिए और सारे सदन ने, सब सहमत कर के दिए। ...(व्यवधान) आज भी हम पहल करेंगे। ...(व्यवधान) और पहल कर चुके हैं।

11.28 hrs

At this stage, Shri Abdul Rahman and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... *(Interruptions)*

MADAM SPEAKER: Please go back. I am standing. Please go back. बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please sit down. I want to say something. Please sit down.

... *(Interruptions)*

अध्यक्ष महोदया : आप पहले बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)


अध्यक्ष महोदया : इस समय सदन इस विषय को लेकर बहुत उद्वेलित है। पूरे सदन की भावना हमने देख ली है। पूरा सदन एकजुट है। सरकारी पक्ष से मेरा अनुरोध होगा कि वे संशोधन के बारे में सोचें।

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ): मैडम, इसमें कोई शक नहीं है कि सदन इस विषय पर एक है। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं और अभी लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि वे रिव्यू पिटीशन लगाएंगे, पर इस सेशन में ...(व्यवधान) मैडम हम इस सेशन में संविधान संशोधन लाएंगे। ...(व्यवधान) मैडम, ये सुनना नहीं चाहते हैं ...(व्यवधान) मैं कह रहा हूँ कि हम संविधान में संशोधन आवश्यक इस सदन में लाएंगे।

मैं तो कह रहा हूँ कि संविधान संशोधन विधेयक लायेंगे।...(व्यवधान)

11.29 hrs.

At this stage, Shri Shailendra Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

 (Interruptions)

11.29½ hrs

At this stage, Shri A.K.S. Vijayan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : वे तो कह रहे हैं कि विधेयक लायेंगे। आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: He is saying that.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 1200 hours.

11.30 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

12.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Madam Speaker in the Chair)

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: The House will now take up item no. 2, Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): On behalf of Dr. Girija Vyas, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Government Employees Welfare Housing Organisation, New Delhi, for the year 2011-2012, along with Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Government Employees Welfare Housing Organisation, New Delhi, for the year 2011-2012.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 9374/15/13)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Memorandum of Understanding between the Uranium Corporation of India Limited and the Department of Atomic Energy for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 9375/15/13)

(ii) Memorandum of Understanding between the Electronics Corporation of India Limited and the Department of Atomic Energy for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 9376/15/13)

(iii) Memorandum of Understanding between the Indian Rare Earths Limited and the Department of Atomic Energy for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 9377/15/13)

(iv) Memorandum of Understanding between the Nuclear Power Corporation of India Limited and the Department of Atomic Energy for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 9378/15/13)

(v) Memorandum of Understanding between the Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Limited and the Department of Atomic Energy for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 9379/15/13)

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 29 of the Right to Information Act, 2005:-

(i) The Central Information Commission [Registrar] Recruitment Rules, 2013 published in Notification No. G.S.R. 387(E) in Gazette of India dated 20th June, 2013.

(ii) The Central Information Commission [Hindi Translator] Recruitment Rules, 2013 published in Notification No. G.S.R. 388(E) in Gazette of India dated 20th June, 2013.

(iii) The Central Information Commission [Assistant Library and Information Officer] Recruitment Rules, 2013 published in Notification No. G.S.R. 389(E) in Gazette of India dated 20th June, 2013.

(Placed in Library, See No. LT 9380/15/13)

12.01 hrs

At this stage, Shri K. Narayan Rao and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. SHASHI THAROOR): On behalf of Shri Jitin Prasada, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Axom Sarba Siksha Abhiyan Mission, Guwahati, for the year 2011-2012, along with Audited Accounts.
(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Axom Sarba Siksha Abhiyan Mission, Guwahati, for the year 2011-2012.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 9381/15/13)

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Mahila Samakhya Uttar Pradesh, Lucknow, for the year 2011-2012, along with Audited Accounts.
(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mahila Samakhya Uttar Pradesh, Lucknow, for the year 2011-2012.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 9382/15/13)

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Mahila Samakhya Karnataka, Bangalore, for the year 2011-2012, along with Audited Accounts.
(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mahila Samakhya Karnataka, Bangalore, for the year 2011-2012.

- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No. LT 9383/15/13)

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Kerala Mahila Samakhya Society, Trivandrum, for the year 2011-2012, along with Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Kerala Mahila Samakhya Society, Trivandrum, for the year 2011-2012.

- (8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(Placed in Library, See No. LT 9384/15/13)

- (9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Himachal Pradesh Primary Education Society-cum-Sarva Shiksha Abhiyan State Mission Authority, Shimla, for the year 2011-2012, along with Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Himachal Pradesh Primary Education Society-cum-Sarva Shiksha Abhiyan State Mission Authority, Shimla, for the year 2011-2012.

- (10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

(Placed in Library, See No. LT 9385/15/13)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. SHASHI THAROOR): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Atal Bihari Vajpayee Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior, for the year 2011-2012.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Atal Bihari Vajpayee Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior, for the year 2011-2012, together with Audit Report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Atal Bihari Vajpayee Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior, for the year 2011-2012.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 9386/15/13)

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Board of Apprenticeship Training (Northern Region), Kanpur, for the year 2011-2012, along with Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Board of Apprenticeship Training (Northern Region), Kanpur, for the year 2011-2012.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 9387/15/13)

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar, for the year 2011-2012, along with Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar, for the year 2011-2012.
- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No. LT 9388/15/13)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI DEEPA DASMUNSI): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 102 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002:-

- (i) The Metro Railways General Rules, 2013 published in Notification No. G.S.R. 246(E) in Gazette of India dated 18th April, 2013.
- (ii) The Opening of Metro Railways for Public Carriage of Passengers Rules, 2013 published in Notification No. G.S.R. 247(E) in Gazette of India dated 18th April, 2013.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 9389/15/13)

12.02 hrs.

**MESSAGES FROM RAJYA SABHA
AND
BILL AS AMENDED BY RAJYA SABHA ***

SECRETARY-GENERAL: Madam, I have to report the following messages from the Secretary-General of Rajya Sabha:

- (i) ‘I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 13th August, 2013 has passed the following motion:

MOTION

“That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to leave being granted by the Lok Sabha to withdraw the Bill further to amend the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, which was passed by the Rajya Sabha on the 11th March, 2013 and laid on the Table of the Lok Sabha on the 12th March, 2013.”

- (ii) ‘I am directed to inform the Lok Sabha that the National Highways Authority of India (Amendment) Bill, 2012, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 3rd September, 2012, has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 13th August, 2013, with the following amendments:-

ENACTING FORMULA

1. That at page 1, line 1, *for* the word “Sixty-third”, the word “Sixty –fourth” be *substituted*.

CLAUSE 1

2. That at page 1, line 3, *for* the figure “2012”, the figure “2013” be *substituted*.

* Laid on the Table.

I am, therefore, to return herewith the said Bill in accordance with the provisions of rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha with the request that the concurrence of the Lok Sabha to the said amendments be communicated to this House.'

2. Madam, I lay on the Table the National Highways Authority of India (Amendment) Bill, 2013 as returned by Rajya Sabha with amendments.

12.02 ¼ hrs.**COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
36th Report**

श्री कड़िया मुंडा (खूंटी): अध्यक्ष महोदया, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 36वाँ प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

12.02 ½ hrs.**COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES
AND SCHEDULED TRIBES
Report of Study Tour**

SHRI GOBINDA CHANDRA NASKAR (BANGAON): I beg to lay on the Table the Report (Hindi and English versions) of the study tour of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to Kochi, Munnar, Bengaluru and Goa during June-July, 2012.

12.02 ¾ hrs.**STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT
(i)42nd to 45th Reports**

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): अध्यक्ष महोदया, मैं ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) प्रस्तुत करती हूँ :-

- (1) 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन' के बारे में 42वाँ प्रतिवेदन।
- (2) 'भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण' के बारे में 33वें प्रतिवेदन (पंद्रहवी लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 43वाँ प्रतिवेदन।

- (3) 'काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी (कापार्ट)' के बारे में 32वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 44वाँ प्रतिवेदन।
- (4) 'पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) का क्षमता निर्माण' के बारे में 45वाँ प्रतिवेदन।

(ii) Statements

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): अध्यक्ष महोदया, मैं ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ:-

- (1) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2012-13)' के बारे में समिति के 27वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 34वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पाँच में शामिल अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (2) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भू-संसाधन विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2012-13)' के बारे में समिति के 28वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 35वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पाँच में शामिल अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (3) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2012-13)' के बारे में समिति के 29वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 36वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पाँच में शामिल अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (4) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2012-13)' के बारे में समिति के 30वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 37वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पाँच में शामिल अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

12.03 hrs.

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 240th Report of the Standing Committee on Industry, pertaining to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SHRI K.H. MUNIYAPPA): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 240th Report of the Standing Committee on Industry pertaining to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

I make this statement on the status of implementation of recommendations contained in the 240th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Industry, at the direction of the Hon'ble Speaker, Lok Sabha and in pursuance of the provisions of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha contained in the Lok Sabha Bulletin- Part-II dated September 1, 2004.

The 240th Report contains twenty one further recommendation/observations in its Chapter-III & IV. These recommendations/observations broadly pertain to marketing development, rationalization of schemes, outcomes of evaluation study of KVIC and Coir Board, utilization of funds under KVIC, monitoring of credit facilities being provided to micro sector and current status on External Commercial Borrowings (ECBs) etc.

My Ministry has taken necessary action in respect of these recommendations/observations contained in above said reports. The Action Taken Notes giving details of the action taken on each of the recommendations/observations contained in 240th Reports have been furnished to the Secretariat of the Committee on 02.07.2013.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9390/15/13.

The present status of implementation of the major recommendations made by the Committee is detailed in Annexure to this statement, which is placed on the Table of the House. I would not like to take the valuable time of the House to read out the contents of the Annexure and would request that they may be considered as read.

12.04 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR):
Madam, with your permission, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, 19th August, 2013 will consist of:

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order paper.
2. Discussion on the Statutory Resolution seeking disapproval of the Securities Laws (Amendment) Ordinance, 2013 and consideration and passing of the Securities Laws (Amendment) Bill, 2013.
3. Consideration and passing of the following Bills:
 - a) The Securities and Exchange Board of India (Amendment) Bill, 2013 –
To replace an Ordinance;
 - b) The Nuclear Safety Regulatory Authority Bill, 2011;
 - c) The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2012;
 - d) The Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill, 2012;
 - e) The Regional Centre for Biotechnology Bill, 2011;
 - f) The Rajiv Gandhi National Aviation University Bill, 2013;
 - g) The Right to Information (Amendment) Bill, 2013;
 - h) The Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Amendment Bill, 2012; and
 - i) The Pension Fund Regulatory and Development Authority Bill, 2011.



SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): I want to submit that the following items may be included in the next week's agenda:

- 1) Implementation of Modernization and Expansion Schemes in Alloy Steel Plant in Durgapur in West Bengal;
- 2) A halt station at Kondaipur in Asansol Division of Eastern Railway in Bardhwan District, in order to facilitate villagers of more than 10 villages in and around the locality.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदया, मैं अगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूँ -

1. देश के कई राज्यों में हाईकोर्टों की बेंचों की स्थापना करने की मांग उठ रही है। वकीलों द्वारा हाईकोर्ट बेंच स्थापना के पक्ष में और विरोध में हड़ताल होती रहती है, जिससे आमजन को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा न्याय मिलने में देरी होती है। अतः हाईकोर्ट बेंचों की स्थापना के विषय पर संसद में चर्चा के लिए आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए।
2. सिविल सेवाओं की परीक्षाओं में, विशेषकर आईएएस की परीक्षाओं में, सीटेट में इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंसिव स्किल को हटा कर पूर्व की भांति मुख्य परीक्षा में भाषाओं को क्वालीफाईंग पेपर ही लिए जाएं ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिल सके और प्रशासन की भाषा संबंधी दक्षता का उद्देश्य भी पूर्ण हो सके। अतः इस विषय पर चर्चा के लिए आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया : श्री अशोक अर्गल - उपस्थित नहीं।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय - उपस्थित नहीं।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय को शामिल करने का कष्ट करें -

1. गुजरात के रेल बजट के तहत आज तक जो सभी घोषणाएं हुई हैं आदर्श स्टेशन बनाने की, इनकी प्रक्रिया शुरू की जाए।
2. गुजरात राज्य में लैप्टोस्पाईसीस का एडवांस रिसर्च सेंटर की स्थापना हेतु केन्द्र द्वारा उचित प्रयास किए जाएं।

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित मामलों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करने का अनुरोध करता हूँ-

1. मेरे चंद्रपुर निर्वाचन क्षेत्र की निदयां जिसमें पैनगंगा, वर्धा, इराई, निरगुडा, झरपट, इन निदयों में पर्यावरण प्रदूषण के कारण इन नदियों के अस्तित्व को खतरा तथा बढ़ते बाढ़ के खतरे को देखते हुए उपचारात्मक प्रयास करने की आवश्यकता।
2. नेशनल हाइवे क्रमांक 7 पर वाहन चालकों से टोल प्लाजा लगवा कर अवैध वसूली का मामला उजागर होने के बाद इस नागपुर स्थित बोरखेड़ी अवैध टोल प्लाजा बंद करने की कार्यवाही तथा तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता।

इन दोनों मामलों को अगले सप्ताह के कार्य में शामिल करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए-

1. देश में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए पीढ़ियों के हित में परिवार नियोजन ऐच्छिक नहीं अनिवार्य कानून बनाया जाए।
2. वर्तमान आबादी अनुपात में एससी/एसटी का आरक्षण 22.5 परसेंट से बढ़ा कर 32 परसेंट किया जाए। निजी क्षेत्र में, न्यायपालिका, उच्च शिक्षा (तकनीकी शिक्षा), रक्षा सेवाओं में 32 परसेंट आरक्षण का प्रावधान हो।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदया, मैं निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह उठाने की अनुमति चाहता हूँ-

1. अहमदाबाद-हिम्मतनगर-उदयपुर रेल लाइन पर अमान परिवर्तन हेतु स्वीकृति होने के पांच वर्ष गुजरने के बाद भी इस परियोजना का कार्य बजट के अभाव में शुरू नहीं हुआ है। अतः आवश्यक बजट उपलब्ध करवा कर तत्काल कार्य शुरू करवाया जाए।
2. शामला जी-मोडासा रेल कनेक्टीविटी की स्वीकृति पांच साल पहले दी गई थी, लेकिन अभी तक एलाइनमेंट का काम पूरा नहीं होने से काम शुरू नहीं हुआ है। अतः एलाइनमेंट का कार्य तत्काल पूरा करके कनेक्टीविटी का कार्य अविलंब शुरू किया जाए।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): अध्यक्ष महोदया, कृपया निम्नलिखित अति-महत्वपूर्ण विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करने की कृपा करें-

1. खोए हुए नेटवर्क उपकरणों की पुलिस में सूचना दर्ज करना अनिवार्य करने के संबंध में।
2. पोस्टमार्टम पद्धति में आवश्यक सुधार करने के संबंध में।

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): मैडम, आप से अनुरोध है कि आगामी सप्ताह की कार्यवाही में कृपया निम्नलिखित विषयों को विचार के लिए जोड़ा जाए: -

प्रधानमंत्री राहत कोष से देश में हर आपात स्थिति और घटना से निपटने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। ...(व्यवधान) इसी तर्ज पर देश के गरीब बीपीएल परिवार के मरीजों के इलाज के लिए भी आर्थिक सहायता माननीय संसद सदस्यों की सिफारिशों पर दी जाती है। ...(व्यवधान) लेकिन निवेदनों की मंजूरी की सीमित संख्या एवं कम आर्थिक सहायता देने से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।...(व्यवधान)

राज्यरानी एक्सप्रेस ट्रेन जो अभी मणमाड से मुम्बई चलती है, उसे भुसावल तक बढ़ाने की वर्षों से मांग करने के बाद भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। ...(व्यवधान) इस ट्रेन को भुसावल से मुम्बई करने से रेल विभाग को बहुत बड़ा राजस्व मिलने वाला है।...(व्यवधान) वहां की जनता की कई सालों से लंबित इस मांग को सरकार द्वारा गंभीरता से लेकर तत्काल इस ट्रेन को भुसावल से मुम्बई किए जाने की आवश्यकता है।...(व्यवधान)

श्री अशोक अर्गल (भिंड): अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को शामिल करने का कष्ट करें: -

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 की हालत बहुत खराब है। इसे ठीक कराने की आवश्यकता है। नागरिक बहुत परेशान हो रहे हैं।...(व्यवधान)

भिंड जिले में बीस हजार से ज्यादा नौजवान सेना में हैं।...(व्यवधान) वहां एक कैन्टीन खोलने की आवश्यकता है।...(व्यवधान)

12.11 hrs

**MOTION RE: FIFTIETH REPORT OF
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE**

SHRI GOPINATH MUNDE (BEED): Madam, I beg to move:

“That this House do agree with the Fiftieth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 13th August, 2013. ”

MADAM SPEAKER: The question is:

“That this House do agree with the Fiftieth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 13th August, 2013. ”

The motion was adopted.

श्री उदय सिंह (पूर्णिमा): धन्यवाद महोदया, आप ने मुझे इस बहुत ही संवेदनशील मामले में कुछ कहने की अनुमति दी है।...(व्यवधान)

मैं देश में चल रहे मध्याह्न भोजन के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ और मैं जो भी कह रहा हूँ वह न तो किसी केन्द्र सरकार के विरोध में है और न किसी राज्य सरकार के विरोध में है।...(व्यवधान) अगर यह किसी के विरोध में है तो वह हम संसद सदस्यों की संवेदनशून्यता के विरोध में है। ...(व्यवधान) वर्ष 1995 में यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गयी। इसके तीन मुख्य उद्देश्य थे कि स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए आएँ; वे जो कुपोषण के शिकार हैं, कुपोषण के शिकार न रहें; और बच्चों में एक बराबरी की भावना आए।...(व्यवधान) लेकिन मुझे यह कहने में दुःख है और मैं समझता हूँ कि हम सभी संसद सदस्य अपने क्षेत्रों में यह देख रहे होंगे।...(व्यवधान) महोदया, आप भी बिहार से एक संसद सदस्या हैं। ...(व्यवधान) आप भी देख रही होंगी कि जिस तरह से हम लोगों ने कल्पना की थी कि यह मध्याह्न भोजन की योजना चले, वह नहीं चल रही है। ...(व्यवधान) आज यह मामला और भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जहाँ एक तरफ पिछले माह बिहार के छपरा में 23 बच्चों की मृत्यु हो गयी, वहीं आज यह सदन खाद्य सुरक्षा नियम पर चर्चा कर रहा है। ...(व्यवधान) हमें देखना चाहिए कि यह मध्याह्न भोजन की योजना को शुरू हुए बीस साल हो गए। पर, आज तक हम यह भी सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूलों में सही भोजन दे सकें। ...(व्यवधान) खाद्य सुरक्षा की जो इतनी बड़ी योजना आ रही है, इसका हम क्या करेंगे, यह भगवान जानें। ...(व्यवधान) इसलिए मैं आप लोगों से और खासकर आपसे अपील करना चाहता हूँ कि इस मध्याह्न भोजन की जो बनावट है, इसकी जो डिज़ाइन है, इसमें जो त्रुटियाँ हैं, संसद में इस पर एक चर्चा हो। ...(व्यवधान) हमारे स्कूलों में वैसे ही शिक्षकों का अभाव है। यह संभव नहीं है कि हमारे स्कूलों में जो शिक्षक शिक्षा नहीं प्रदान कर सकते, वे सुबह से आ कर खिचड़ी बनवाने में लग जाते हैं तो इससे शिक्षा भी पीछे रह जाती है और बच्चों के लिए जो भोजन है, वह उन्हें नहीं मिल पाता।...(व्यवधान)

मैं बिहार का उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी थी और पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने अशिक्षित शिक्षक रख लिए, लाखों की तादाद में रख लिए।...(व्यवधान) मैडम, आप भी बिहार की सांसद हैं। आप जानती होंगी कि जिस तरह की शिक्षा हमारे स्कूलों में प्रदान की जा रही है, उस से हम एक अशिक्षित भारत का निर्माण कर रहे हैं।...(व्यवधान) यह मध्याह्न भोजन महत्वाकांक्षी भी है, आवश्यक भी है, जरूरी भी है लेकिन जिस तरह से इसका निर्माण हुआ है और जिस तरह से इस को ज़मीन पर उतारने की कोशिश की जा रही है, यह बिल्कुल विफल है। ...(व्यवधान) मैं समझता हूँ कि संसद में इस पर

तुरंत चर्चा होनी चाहिए और इसके लिए कोई नयी व्यवस्था सोचनी चाहिए। इस योजना में परिवर्तन करना चाहिए ताकि हम लोगों का जो उद्देश्य है, वह पूरा हो सके।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री उदय सिंह द्वारा उठाये गये विषय के साथ श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्री शिवकुमार उदासी, श्री शिवराम गौड़जा, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र एवं डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी अपने को संबद्ध करते हैं।

(व्यवधान)

डॉ. भोला सिंह (नवादा): अध्यक्ष महोदया, मैं आसन का शुकुगुजार हूँ कि मेरे जख्म की आवाज का आपने समादर किया है। ...(व्यवधान) भारत हिन्दुत्व और इस्लाम का संयुक्त परिवार है, नवादा उसकी झांकी है। सदियों से हिन्दू और मुसलमान अपने-अपने पर्व, त्यौहारों में एक-दूसरे की खुशियों में भाग लेते रहे हैं।...(व्यवधान) नवादा शांति और सौहार्द की एक चेतन आत्मा बनी हुई है। ...(व्यवधान) दुर्भाग्य है कि जब नवादा में ईद के अवसर पर हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे ने प्रति खुशियां एवं रेवड़ियां बांट रहे थे और सारा आलम खुशियों में खोया हुआ था। कल होकर न जाने बादलों के दरमियां क्या साजिश हुई, मेरा ही घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि खाने के सवाल को लेकर दोनों के बीच में झड़प हुई, पुलिस उपस्थित हुई, अफरा-तफरा मची, न लाठियां चलीं पुलिस की, न हवाई फायर हुए, न चेतावनी हुई, न अश्रु गैस के गोले फोड़े गए। एक दरोगा ने उपस्थित भीड़ पर गोलियां चला दीं। गोलियां हवा में नहीं चलाई गईं, गोलियां छाती, मस्तक और हाथ की कांख में चलाई गईं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो तीन लोग पुलिस की गोलियों से मारे गए हैं, उसमें एक कुंदन नाम का महा दलित का बेटा है। वह 15 वर्ष का था। उसके न जाने कितने सपने थे, वे खून हुए, परन्तु हिन्दू और मुसलमानों की तरफ से किसी ने गोलियां नहीं चलाई, किसी ने एक-दूसरे को हताहत नहीं किया, पर इसे मदहोश सत्ता साम्प्रदायिक हिंसा का सहारा लेकर एक समूह पर अत्याचार कर रही है। मदहोश सत्ता वहां की जनता को कीड़े-मकोड़े समझ करके, घरों में घुस कर लाठियां मार रही है, छाती पर गोलियां चला रही है। मैं आपको बताऊं कि एक श्रीकांत सिंह नामक वकील अपनी छत पर टहल रहे थे, उनकी छाती पर गोलियां मारी गईं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस दारोगा ने गोलियां चला कर हत्याएं की हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए।...(व्यवधान) आपने हमारी आवाज को यहां रखने का आदेश दिया

है तो हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि नवादा प्यासी आत्मा है, नवादा के खेत सूखे हैं, नवादा की नदियां सूखी हुई हैं।... (व्यवधान) नवादा 65 वर्षों के बाद भी पानी के लिए हाहाकार कर रहा है।... (व्यवधान) आज हम उनको खून दे रहे हैं। उनको पानी के बदले में खून दिया जा रहा है। हम खून से लथपथ हैं।

अध्यक्ष महोदया, हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि आप एक सॉवरन सदन की सर्वदलीय कमेटी का गठन करके नवादा भेजें। वहां के प्रशासन से बात करके, पुलिस वहां जो अत्याचार कर रही है, खून की होली खेल रही है, पुलिस जो चुन-चुन कर लोगों को मार रही है, भेद कर रही है, आप उसे रोकें। भारत सरकार बिहार सरकार से बात करे और एक सर्वदलीय कमेटी बना करके इसकी जांच करवाए, मैं इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, Speaker, I am indeed indebted to you because today when we started the proceedings of this House, you were kind enough to raise the issue relating to the dumping of the coal slosh on at least 11 persons who died miserably in the district of Sundargarh. At least 11 persons have been killed, these have been identified because their bodies have been recovered. Scores of other people who went beneath the coal and slash in the Mahanadi Coal field area in the Kulda open cast coal mine of Mahanadi Coalfield area is yet to be recovered... (Interruptions).

This incident occurred when a portion of the overburden caved in on a large group of villagers which was collecting coal pieces from near the base. ... (Interruptions) Police say that there is little chance of any survival. District administration has no information about the number of villagers trapped. The Chief Minister has ordered an inquiry by the Revenue Divisional Commissioner. The Mahanadi Coalfields Limited has not taken any precautionary measure to prevent people from getting close to the overburden site. By a mere warning, MCL cannot shrug off its responsibility. Removing the top soil which is mixed with coal is stored near the mine site. No plantation on the overburden is done to stabilise the loose soil.

It is a known fact that, due to illegal smuggling of coal by a few coal mafias of the area, this tragedy has occurred. Smugglers are employing locals to collect

coal by luring them with hefty money. Though these illegal practices have been going on, the MCL authorities are hand-in-glove with them and they are also silent about it. The Chief Minister of Odisha has announced Rs. 2 lakh of *ex-gratia* per victim and MCL has provided very little amount.

Therefore, I would demand before this House that MCL or Coal India should provide adequate compensation of at least Rs. 10 lakhs to the victims of the families and at the same time, I would also say that accountability must be fixed. ... (*Interruptions*) The officers who are responsible for this tragedy should also be prosecuted.

I hope the Government of India will take stringent action against those officers who have made this tragedy happen. This is a man-made tragedy and the persons who are responsible for this tragedy should be made accountable and prosecuted under a criminal charge.

MADAM SPEAKER: Shri Shivkumar Udasi and Dr. Prasanna Kumar Patasani may be allowed to associate with the matter raised by Shri B. Mahtab.

श्री सतपाल महाराज - अनुपस्थित।

श्री रेवती रमण सिंह।

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एक अविलम्बनीय लोक महत्त्व का सवाल उठाना चाहता हूँ।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप सभापटल पर रख दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, पूरे देश में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने पब्लिक सैक्टर की कम्पनियां खोल रखी थीं, जिससे देश मजबूत हुआ। कालान्तर में ये कम्पनियां बीमार हुई हैं और बीमारी की हालत में इन कम्पनियों को बन्द कर दिया गया। उनमें लाखों कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक साल बीत गया, लेकिन एक साल बीतने पर भी उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, वे भुखमरी के कगार पर हैं। उन लाखों कर्मचारियों और उनके बच्चों की दवाई नहीं हो रही है, उनकी फीस नहीं दी जा रही है।

मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करें कि इस पर तत्काल कार्रवाई करने का कष्ट करें।

अध्यक्ष महोदया: श्री पी.एल. पूनिया को श्री रेवती रमण सिंह के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Madam Speaker, I would like to place before this House a very serious situation prevailing in the country due to uncontrolled price rise of essential commodities. The day-to-day budget of every citizen has really destabilized now. In Delhi itself, the price of onions has gone up between Rs. 80 and Rs. 90 per kilo and the price of tomatoes has gone up between Rs. 35 and Rs. 40 per kilo. When we go to the market, we find that the price of every vegetable item has gone upto Rs. 80 per kilo. In this way, the prices of almost all the essential commodities have gone up. The Government has fully failed to control the price rise. So, I would like to know what measures the Government has taken. ... (*Interruptions*) It is true that the Government has taken some measures, but they are only to promote the price rise. The Government has raised the price of petroleum 27 times. ... (*Interruptions*) It is true for the prices of diesel also. That is also one of the most important reasons for price rise. ... (*Interruptions*) Now-a-days, in the market, the ordinary people are not able to buy any item with their meagre income. ... (*Interruptions*)

So, I would like to demand that a special discussion should be initiated in the House and the Government should say what measures it is going to take to control the price rise. ... (*Interruptions*) Thank you. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri Shirkumar Udasi and Shri P.R. Natarajan are allowed to associate themselves with the issue raised by Shri P. Karunakaran.

... (*Interruptions*)

SHRI JASWANT SINGH (DARJEELING): I would request the Government to take steps for restoration of normalcy and resumption of dialogue in Darjeeling district of West Bengal. ... (*Interruptions*) I submit to you that the political dialogue between the Gorkha Janmukti Morcha and the State Government of West Bengal is completely stuck. ... (*Interruptions*) It is essential that the political dialogue is resumed as per the GTA Agreement or the Tripartite Agreement. ... (*Interruptions*) The Union Government is also part of it as is the State Government with the Gorkha Janmukti Morcha. ... (*Interruptions*) It is the correct moment for the Union Government to take an initiative and resume the political dialogue. ... (*Interruptions*) Considering the overall situation, it is vital that peace be restored. ... (*Interruptions*) It is a matter of national importance. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri Jagdambika Pal.

... (*Interruptions*)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका और आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आज पूरे देश में राष्ट्रीय ग्रामीण ... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(*Interruptions*) ...*

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

12.28 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

* Not recorded.

14.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, please sit down.

... (*Interruptions*)

14.0 ½ hrs

At this stage, Shri M. Venugopala Reddy and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

MATTERS UNDER RULE 377*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the Matters Under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Those Members who have been permitted to raise Matters Under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes. Only those Matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

* Treated as laid on the Table.

(i) Need to utilize funds sanctioned for improvement and refurbishment of the Nahar Singh Stadium in Faridabad, Haryana

श्री अवतार सिंह भडाना (फरीदाबाद): मेरे संसदीय क्षेत्र फरीदाबाद, हरियाणा के औद्योगिक शहर फरीदाबाद में वर्ष 1981 में नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हुआ था। इस स्टेडियम में दर्शकों के बैठने की क्षमता 25000 के आसपास है। सभी सुविधाओं से परिपूर्ण यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है, जिसमें वर्ष 1981 से 1996 तक राज्य स्तरीय, देश स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन होता रहा है। किंतु पिछले 8 वर्षों से इस स्टेडियम की अनदेखी की जा रही है। इसका मुख्य कारण है यहां पर दो-दो क्रिकेट एसोसिएशन की आपसी सामंजस्य की कमी। जिसके कारण पिछले 8 वर्षों से एक भी देश, राज्य और स्थानीय स्तर के मैचों का भी आयोजन नहीं हो पाया है और न ही स्थानीय क्रिकेटर को अभ्यास करने का मौका मिला है। महोदय, मुझे ज्ञात हुआ है कि बीसीसीआई ने इस स्टेडियम का नया स्वरूप देने और उसके जीर्णोद्धार के लिए 180 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं ताकि यहां पर पुनः अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचों का आयोजन शुरू हो सके। लेकिन दो क्रिकेट एसोसिएशन की आपसी लड़ाई के कारण यह धनराशि भी ऐसी ही पड़ी है।

मेरी भारत सरकार से मांग है कि यदि दोनों क्रिकेट एसोसिएशन में कोई समझौता नहीं होता है तो दोनों को भंग कर नई क्रिकेट एसोसिएशन बनाई जाए ताकि बीसीसीआई द्वारा स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग हो सके और पुनः यहां पर मैचों का आयोजन शुरू हो सके।

(ii) Need to convert rail line between Mavli Junction and Marwar Junction in Rajasthan into broad-gauge

श्री गोपाल सिंह शेखावत (राजसमंद): मेरे लोक सभा क्षेत्र में उत्तर-पश्चिम रेलवे के अजमेर खण्ड के अंतर्गत पूर्व से मावली जंक्शन से मारवाड़ जंक्शन तक मीटरगेज रेलवे लाइन है। इस रेल लाइन को मावली से नाथद्वारा तक ब्रॉडगेज में परिवर्तित कर दिया गया है। शेष बचे नाथद्वारा से मारवाड़ जंक्शन तक आमान परिवर्तन नहीं किया गया है। कई बार सर्वेक्षण किया जा चुका है। आमान परिवर्तन होने से इस लाइन द्वारा, जो सुरक्षा की दृष्टि से पाकिस्तान से लगे सीमा क्षेत्र को जोड़ती है, व्यापारिक एवं धार्मिक दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध जोधपुर एवं रामदेवरा को दक्षिणी राजस्थान से जोड़ा जा सकेगा। अस्तु सरकार से निवेदन है कि इस रेल लाइन का आमान परिवर्तन किया जाए।

(iii) Need to permit allocation of funds from MPLAD Scheme to supplement the efforts to improve educational facilities in districts/areas covered under Backward Regions Grant Fund Programme

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती): मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत जनपद बलरामपुर एवं श्रावस्ती शैक्षणिक एवं विकास की दृष्टि से अति पिछड़े जनपद हैं। दोनों जनपद योजना आयोग की पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) योजना अंतर्गत आच्छादित है। उपरोक्त दोनों जनपदों में शिक्षण संस्थाओं का बड़ा ही अभाव है और उनमें से भी राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे शिक्षण संस्थान बहुत ही कम है। अगर सिर्फ राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे विद्यालयों को ही एम.पी.लैड्स अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी तो शैक्षणिक दृष्टि से ये क्षेत्र और भी पिछड़ते जाएंगे क्योंकि सरकार अपने सीमित संसाधनों में नए शिक्षण संस्थान खोलने अथवा नए शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में इन पिछड़े क्षेत्रों के आच्छादन में अपेक्षित सहयोग नहीं कर पाती है।

अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि शैक्षणिक एवं विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों तथा योजना आयोग द्वारा बी.आर.जी.एफ. आच्छादित जनपदों में मान्यता प्राप्त विद्यालयों को एम.पी. लैड्स अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमति प्रदान कर पिछड़े क्षेत्रों को शैक्षणिक रूप से सक्षम होने का अवसर प्रदान करे।

(iv) Need to ensure electrification of villages under Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana in Odisha

SHRI HEMANAND BISWAL (SUNDARGARH): Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana was launched in the year 2005 to provide access to electricity in rural areas. All the thirty districts of Odisha have been included in the scheme and the works are being executed by three CPSUs (NTPC, NHPCL, PGCIL) through a quadripartite agreement and 14,856 villages and 29,351 villages during 10th and 11th plan period respectively were targeted to be electrified. However, the ground realities are different. The contractors are not taking interest to achieve the target. Most of the BPL families have not yet been provided with electricity connection since different distribution companies operating in Odisha are not co-operating with each other. Many villages and hamlets mostly dominated by Scheduled Tribes have not been included in the list of targeted villages. I would, therefore, like to urge upon the Govt. to intervene in the matter forthwith for success of this flagship programme during the 12th Plan period.

(v) Need to implement rail projects sanctioned for Bharatpur Parliamentary Constituency in Rajasthan in previous Rail Budgets

श्री रतन सिंह (भरतपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर में गत दो रेल बजटों में रेल परियोजनाओं की घोषणा की गई थी परंतु उन पर अभी तक कार्य आरंभ नहीं किया गया है जिसके कारण भरतपुर जिले के निवासी इन योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं कि इन योजनाओं का क्या हुआ। वर्ष 2010-11 के रेल बजट में भरतपुर जिले के लिए जंक्शन उन्नयन अंतर्गत भरतपुर जंक्शन पर बाह्य रोगी विभाग एवं डायग्नोस्टिक केन्द्र की स्थापना, भरतपुर में तृतीय स्तरीय बहु-विशेषज्ञता अस्पताल की स्थापना, भरतपुर-डीग-कामां-कोसीकलां नई लाईन का सर्वेक्षण, मथुरा-अलवर-रेवाड़ी-हिसार के बीच 330 किलोमीटर का विद्युतीकरण एवं वर्ष 2012-13 के रेल बजट में टांटपुर से बंसी पहाड़पुर नई रेल लाईन का सर्वेक्षण की घोषणा की गई थी। यह सभी कार्य भरतपुर के विकास में सहयोग करने वाले थे और जन-कल्याण को बढ़ावा मिल सकता है। भरतपुर में जलवायु की अनुकूलता एवं कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर कई उद्योगों की स्थापना हो सकती है परंतु रेल सुविधा के अभाव में उद्योगों की स्थापना नहीं हो पा रही है जबकि दक्षिण एवं पश्चिम भारत के हिस्सों में लगभग सभी गाड़ियां यहीं से गुजरती है।

सरकार से अनुरोध है कि जो घोषणा एवं स्वीकृत परियोजनाएं रेल बजट 2010-11 एवं 2011-12 एवं 2012-13 में की गई है उनको जनहित में जल्द आरंभ करने की कृपा की जाए।

(vi) Need to revise the service rules to appoint dependants of deceased service personnel immediately on compassionate ground

SHRI CHARLES DIAS (NOMINATED): It is a matter of great concern that several dependants of the service personnel who died in harness are waiting for compassionate appointments. While several welfare measures have been introduced for the welfare of service personnel, there is inordinate delay in the matter of compassionate appointments. Because of this several bereaved families are put to unexplainable misery.

It is understood that the number of vacancies is inadequate to provide appointment to the kin of the deceased service personnel.

The Government should consider appointing the dependants of service personnel in the nearest Government institution. The existing rules in this regard may be modified. I urge upon the Government and Minister for Defence to initiate steps in this regard.

(vii) Need to formulate a programme for imparting higher and technical education to youth in tribal dominated regions of the country

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे (गडचिरोली-चिमूर): केन्द्र सरकार ने देश के निर्बल वर्ग के छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की है। चूंकि इन विद्यालयों में 12वीं कक्षा तक ही शिक्षा प्रदान किए जाने की सुविधा है, इसलिए ऐसे छात्र जो निर्धन परिवार से हैं, वे 12वीं कक्षा के पश्चात् धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। विशेषकर देश के अनुसूचित जाति व जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में स्थित नवोदय विद्यालय से 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु एक कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि वे उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा से वंचित न रह सकें।

आज देश नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसका एक प्रमुख कारण जनजातीय क्षेत्रों का अविकसित होना और जनजातीय छात्रों में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा का अभाव है। यदि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में इस समुदाय के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा की सुविधा प्रदान करके इन युवकों को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने का सतत् प्रयास किया जाए तो नक्सलवाद की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह देश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में इस समुदाय के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा हेतु एक कार्यक्रम शीघ्र बनाए जाने हेतु आवश्यक पहल करे।

(viii) Need to create a new Railway zone in Kerala

SHRI N. PEETHAMBARA KURUP (KOLLAM): Railway network in Kerala needs widening and modernization. The electrification and doubling up work of the railway lines in Kerala is at a very slow pace. The railway coaches and engines of Kerala bound trains are outdated and very old. Toilets of the coaches are in a dilapidated condition and window glasses are missing in many coaches. Windows do not close properly. Air condition system of many of the coaches does not work properly and it results in malfunctioning many a time. The food served in the trains is not only of inferior quality but also less than the required quantity. The blankets and bed sheets are not regularly washed/dry cleaned before re-issuing the same.

In spite of the above, reservation is not available even if the same is done months in advance. The reason is that people have no other option but to depend upon the Indian Railways for long as well as short distance journey.

Keeping in view the above, it is requested to consider the long pending demand of the State for creation of a Railway Zone in Kerala. It can be made possible by including certain portion of the railways from the neighbouring States. It is needless to mention that such a step for creation of a new Railway Zone in Kerala would help developing the income of railways and improve the quality and network of railways in the State.

I, therefore, request Hon'ble Minister of Railways to take urgent steps for creation of a new Railway Zone in Kerala.

(ix) Need to open a new CGHS Dispensary in Jabalpur, Madhya Pradesh

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): जबलपुर संसदीय क्षेत्र जहाँ से मैं निर्वाचित सदस्य हूँ एवं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मैं रक्षा मंत्रालय की पाँच बड़ी इकाइयों के साथ-साथ अन्य केन्द्र शासित संस्थान स्थापित हैं। इन संस्थानों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या लगभग 80 हजार से एक लाख के मध्य है, जो यहाँ निवासरत हैं तथा सभी को सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत उपचार कराने की पात्रता है। वर्तमान में जबलपुर में मात्र तीन औषधालय हैं, जो पात्रताधारी व्यक्तियों की संख्या के अनुपात में कम है। मेरे तारांकित प्रश्न के जवाब में कहा गया था कि औषधालय खोलने का मापदण्ड 6000 अथवा इससे अधिक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का होना है एवं शहर में यदि नया औषधालय खोला जाता है तो 3 कि.मी. की परिधि में 2000 अथवा उससे अधिक केन्द्रीय कर्मचारियों का होना आवश्यक है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जबलपुर में पर्याप्त हितग्रहियों की संख्या इस मानदण्ड के अनुसार है। लेकिन इन मानदण्डों के विपरित अनेक शहरों में लाभार्थियों की संख्या कम होने के पश्चात् भी कई डिस्पेंसरियां खोली गई हैं। बुजुर्ग पेंशनभोगियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र के सी.जी.एच.एस. के लाभार्थियों की परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री से भेंट कर समस्याओं से अवगत कराया था। मंत्री जी ने दिनांक 20 फरवरी, 2013 को लिखे अपने पत्र में यह लिखा था कि वे संभावनाओं का पता लगा रहे हैं। मैं पुनः सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि वे जबलपुर में अतिरिक्त सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी खोलने पर शीघ्र विचार करें।

(x) Need to improve internet facilities in Ghoghamba tehsil in Chhota Udaipur Parliamentary Constituency, Gujarat

श्री रामसिंह राठवा (छोटा उदयपुर): आज हमारे देश में इंटरनेट की सुविधा हो जाने से कठिन से कठिन कार्य आसानी एवं सरलतापूर्वक किया जाता है, चाहे वह सरकारी कार्य हो या निजी कार्य । आज देश के हर कोने में हर वर्ग के लोग इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं । देश का कोना कोना इंटरनेट से जुड़ा हुआ है , आज देश के सभी ताल्लुका या तहसील इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं ।

एक बड़े दुख की बात है कि हमारे संसदीय क्षेत्र में घोघंबा नामक एक तहसील में इंटरनेट की सुविधा ठीक ढंग से नहीं मिल पाने के कारण कंप्यूटर से संबंधित सभी प्रकार के सरकारी अथवा निजी कार्य करने में वहां की जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इस तहसील को इंटरनेट से जोड़ने के लिए बारीया स्थित बूस्टर स्टेशन से घोघंबा तहसील को जोड़ा गया है, घोघंबा से बारीया बूस्टर स्टेशन के बीच की दूर 60 से 70 किलो मीटर है ।

घोघंबा से बारीया बूस्टर स्टेशन की दूरी काफी अधिक होने के कारण ऑप्टिक फाईबर वर्षा के मौसम में या फिर किसी अन्य प्रकार के कन्स्ट्रक्शन कार्य के दौरान केबल ब्रेक हो जाता है और इस तरह से इंटरनेट सिग्नल की गति धीमी हो जाती है और इंटरनेट काम करना बंद कर देती है, इस प्रकार से उस तहसील में स्थित सभी प्रकार के विभागीय/प्रशासनिक/निजी कार्यालयों में कम्प्यूटर से संबंधित सभी कार्य अचानक रूक जाते है, जिससे वहां जनता के कल्याण से संबंधित सभी कार्य रूक जाते हैं और इस तरह से यहां की जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

मेरा सरकार से निवेदन है कि यदि घोघंबा तहसील में इंटरनेट की अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए बारीया बूस्टर स्टेशन से जोड़ने के बजाए हालोल बूस्टर स्टेशन से जोड़ा जाए तो घोघंबा तहसील में इंटरनेट की समस्या स्वतः समाप्त हो जायेगी क्योंकि घोघंबा से हालोल बूस्टर स्टेशन के बीच की दूरी केवल 20 से 25 कि.मी. है । हालोल और घोघंबा की दूरी कम होने के कारण इंटरनेट सिग्नल की गति तेज रहेगी और इस तरह से घोघंबा तहसील की जनता तथा सरकारी कर्मचारी बिना किसी बाधा के इंटरनेट की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे ।

**(xi)Need to augment rail services in Banaskantha Parliamentary
Constituency, Gujarat**

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : मेरा संसदीय क्षेत्र बनासकांठा रेल की सुविधा से पूरी तरह से वंचित है। बनासकांठा जिले का मुख्यालय पालनपुर रेलवे स्थित स्टेशन बुनियादी सेवा से वंचित है। इस रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम नहीं है, प्लेटफार्म पर शैड नहीं है। इस पालनपुर रेलवे स्टेशन से लंबी दूरी की रेल सेवा नहीं है। दूर जाने के लिए दूसरे स्टेशनों पर जाना पड़ता है। कई महत्वपूर्ण गाड़ियों का इस रेलवे स्टेशन पर ठहराव नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्य रेलवे स्टेशन अमीरगढ़, इकबालगढ़, धनेरा, दीसा, दियोदर, भिल्डी एवं भब्वर इत्यादि पर रेलवे विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही समदारी-भिल्डी पर एल सी 149ए फाटक जो 50 साल पुराना है उसके स्थान पर पुल बनाने के लिए रेलवे एवं गुजरात सरकार द्वारा लागत की हिस्सेदारी के आधार पर निर्माण शुरू किया गया परंतु रेलवे विभाग ने कार्य का निर्माण होने के बाद लागत की हिस्सेदारी देने से मना कर दिया है जिसके कारण यह फाटक न बनने से इस फाटक से यातायात में काफी विलम्ब होता है और घातक दुर्घटनाएं भी हो रही हैं।

सरकार से अनुरोध है कि बनासकांठा के मुख्यालय पालनपुर स्थित रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं और यहां के लोगों की मांग पर आवश्यक रेल सेवाएं शुरू कराने का काम किया जाये और जिन रेल सेवाओं के ठहराव की मांग की जा रही है उनका ठहराव किया जाए और जोधपुर रेलवे प्रबंधक कार्यालय अंतर्गत समदारी-भिल्डी रेलवे लाईन पर स्थित एल सी 149ए पुराने फाटक पर रोके गये कार्य को रेलवे एवं गुजरात सरकार की हिस्सेदारी के माध्यम से निर्माण कार्य में तेजी लाई जाये जैसा कि पूर्व में हिस्सेदारी के आधार पर निर्माण कार्य शुरू किया गया था।

(xii) Need to construct Road Over bridge on Dhanbad-Gaya and Dhanbad-Katiras railway lines in Dhanbad parliamentary constituency, Jharkhand

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद): झारखंड के मेरे धनबाद संसदीय क्षेत्र में यातायात की बढ़ती समस्या का एक बड़ा कारण रेलवे भी है। लेकिन समस्या के समाधान के प्रति रेलवे के अधिकारी गंभीर नहीं हैं। शहर में एन एच - 32 पर मटकुरिया से लेकर बैंक मोड़-गया पुल होते हुए श्रमिक चौक तक यातायात जाम होने की समस्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है जिससे यहां कई प्रकार की समस्या का सामना यहां के नागरिकों को करना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए गोधर से झारखंड मोड़ के बीच धनबाद-गया और धनबाद-कतीरास रेल लाइन को पार करने के लिए आर. ओ. बी. का निर्माण करना आवश्यक है। ऐसे में बाईपास निर्माण के लिए रेलवे की सहभागिता अति आवश्यक है। भूली लेबल क्रॉसिंग पर पहले से रेलवे का आर ओ बी प्रस्तावित है। साथ ही भूली लेबल क्रॉसिंग पर बनने वाले आर ओ बी से गोधर - झारखंड लिंक रोड को भी जोड़ा जाए।

अतः माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध होगा कि मेरे द्वारा उठाये जा रहे धनबाद संसदीय क्षेत्र में यातायात की बढ़ती जा रही दिन प्रति दिन की समस्या का शीघ्र ही निपटान कराया जाए जिससे धनबाद की जनता को राहत व यातायात में सुगमता आ सके।

(xiii)Need to repair and renovate the stretch of N.H.-47 between Mannuthy and Wadakkancherry in Kerala

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Urgent attention of the the Central Govt. is invited towards the pathetic condition and alarming number of accident deaths happening on the stretch between Mannuthy and Wadakkancherry of NH 47 running through my constituency, Alathur, Kerala. For repairing and renovation of the road, the Central Government has transferred rupees 4.90 crores to the National Highways Authority of India. A tender had been floated for the above purpose on 09-11-2012, but no contractor participated in it. In the retender floated on 30-11-2012 only one contractor participated. The tender was awarded to the contractor under the condition of completion of works within one month and has been forwarded to the office of the National Highways Authority of India. But no action was taken by the NHAI citing the reason that the tender had only one participant. The State Government has also taken no action in this regard. The apathetic attitude of both NHAI and the State Government would sabotage the renovation of N.H.-47. To complete the renovation on a war footing basis, the Central Government has to transfer the money directly to the State Government, like in previous years. The sanctioned amount of Rupees 59.28 lakh is totally insufficient considering the pathetic condition of the stretch between Mannuthy and Vadakkencherry of NH 47. At least 10 crores are required to make it traffic-worthy. As per the MoU between the contractor and the NHAI, maintaining the traffic worthiness of the existing road till the completion of the 6 lanes and 4 lanes is the responsibility of the contractor. The project offices of NHAI at Kodungalloor (Thrissur District] and Palakkad are flouting this contract. I request you to order an enquiry into the functioning of these offices so that renovation work starts without any delay.

(xiv) Need to construct an Over Bridge or Bye-pass road on N.H. 6 in Keonjhar, Odisha

श्री यशवंत लागुरी (क्योंझर): राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 कोलकाता से मुम्बई वाया जामसेला-सम्भलपुर-क्योंझर होकर जाता है। यह राजमार्ग मेरे संसदीय क्षेत्र क्योंझर शहर के बीच में होकर निकलता है। इस मार्ग पर बड़े वाहन के यातायात रात-दिन चलते हैं और आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और दिन के समय यातायात जाम हो जाता है जिससे लंबे रूट के वाहनों एवं स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्योंझर शहर में एक उपरिपुल या बायपास की व्यवस्था हो जाये तो इन सब परेशानियों से निजात पाई जा सकती है।

सरकार से अनुरोध है कि क्योंझर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर एक उपरिपुल या बायपास का निर्माण करवाया जाये।

(xv) Need to constitute a 'Cow Board' to protect cows in the country

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): देश में हिन्दुओं की गायों के प्रति भक्ति भावना पर केन्द्र सरकार पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है। हर साल कई लाख भारतीय हिन्दुओं की माता रूपी की हत्या हो रही है और हर दिन कई सैकड़ों गायों को गैर कानूनी ढंग से रेलों में और ट्रकों द्वारा सीमा के रास्ते बंगला देश में भेजा जा रहा है। सरकार इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है जिस तरह से उनकी हत्या की जाती है वह जीव जंतु पर क्रूर मजाक है। सरकार द्वारा गायों की हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और गायों को मारकर उनके मांस को निर्यात किया जा रहा है। दूसरा लगभग सभी शाकाहारी पशुओं के विकास के लिए उनके बोर्ड बना रखे हैं, परंतु अभी तक भारतीय गाय बोर्ड नहीं बनाया गया है इससे पता लगता है कि भारत सरकार गायों के विकास एवं उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित नहीं है।

मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि गायों की हत्या को प्रतिबंधित किया जाये और भारतीय गाय बोर्ड का गठन शीघ्र किया जाये।

**(xvi)Need to include Salem City in Tamil Nadu under Jawaharlal Nehru
National Urban Renewal Mission (JNNURM) phase II**

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Salem, the fifth largest growing city in Tamil Nadu with a population of 8,50,000 currently is at the threshold of faster economic development. However, developmental activities are taking a heavy toll on the civic amenities. Added to this, the incessant migration of population from rural areas to Salem city further aggravate the civic problems.

Increasing vehicles on roads pose greater threat leading to frequent road accidents. Salem corporation, with its available financial sources, is meeting the civic needs of the city. The State Government to the extent possible extends financial assistance to the corporation. But Salem city still craves for improvement and better civil amenities.

Hence, there is an urgent need for providing the essential facilities to Salem city to cope with the faster growth. There is need of infrastructure in terms of transportation, housing, drinking water facilities, expanded sewerage network, roads, bridges, environmental care and public utilities of the city. Hence, I fervently request the Government to include Salem City in Tamil Nadu under the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) phase II, so that the city's need will be met and the aspirations of the people for a better quality life are fulfilled.

(xvii) Need to evolve a mechanism to ensure proper utilization of funds and execution of schemes under Corporate Social Responsibility by PSUs

SHRI BIBHU PRASAD TARAI (JAGATSINGHPUR): Paradip region in Jagatsinghpur Parliamentary Constituency, Odisha, is having industrial set ups like Paradip Phosphates Limited, IFFCO, terminals of IOCL, BPCL, HPCL, Cargill Edible Oil plant, Carbon Company etc. All these PSUs/Private companies are consistently making profits over the years. As per the guidelines of the Companies Bill, 2011, it was mandatory for all the profit making companies to allocate certain percentage of their profit for corporate social responsibility. However, the Companies Bill in its revised guidelines in 2012 specified that PSUs earning profit upto 100 crore, 100 to 500 crore and more than 500 crore would spend 5%, 2-3% and 0.5-2% respectively towards corporate social responsibility by emphasizing upon capacity building, empowerment of communities, environment protection, inclusive socio-economic growth, promotion of green and energy efficient technologies, development of backward regions, and upliftment of the marginalized section of the region. In this connection, I would like to state that the PSUs or privately owned companies established in Paradip are not appropriately utilizing the funds earmarked for corporate social responsibility, though they are claiming so. As there is no such specific mechanism to assess execution of CSR funds as well as absence of involvement of district administration and peoples' representative in the process, it becomes difficult to know about the percentage of funds being aimed at various socio-economic welfare projects meant for local people or developmental activities of the region.

Hence, I urge upon the Ministry of Corporate Affairs to ensure a specific mechanism for utilization of corporate social responsibility funds by involving peoples' representatives along with district administration. It will help to utilize funds fairly and appropriately in the country, especially in Paradip of Odisha.

14.01 hrs.

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (AMENDMENT)
BILL, 2013 AS PASSED BY RAJYA SABHA - Withdrawn**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Item No. 16 – Shri Namu Narain Meena.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Sir, on behalf of my senior colleague Shri P. Chidambaram, I beg to move for leave to withdraw the Bill further to amend the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, which was passed by Rajya Sabha on the 11th March, 2013 and laid on the Table of Lok Sabha on the 12th March, 2013.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to withdraw the Bill further to amend the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, which was passed by Rajya Sabha on the 11th March, 2013 and laid on the Table of Lok Sabha on the 12th March, 2013.”

The motion was adopted.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: I withdraw the Bill.

... (*Interruptions*)

14.03 hrs

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (AMENDMENT)

BILL, 2013.....Introduced*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Item No. 17 – Shri Namoo Narain Meena.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMOO NARAIN MEENA): Sir, on behalf of my senior colleague Shri P. Chidambaram, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Saugata Roy – not there.

The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.”

The motion was adopted.

SHRI NAMOO NARAIN MEENA: I introduce the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, please go back to your seats.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, please go back to your seats.

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप सभी अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाएं और सदन को चलने दें।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : किसी की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

... (व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती सुषमा स्वराज जी।

... (व्यवधान)


* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 14.08.2013.

** Not recorded.

उपाध्यक्ष महोदय : केवल सुषमा जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उनको अपनी बात कहने दीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): उपाध्यक्ष महोदय जी, आज सदन में एक बहुत ही दुखदायी घटना घटी। आदरणीय जसवंत सिंह जी, मेरे बहुत ही वरिष्ठ सहयोगी हैं और इस सदन के वरिष्ठतम सांसदों में उनकी गणना होती है। वे जब भी अपनी बात कहने के लिए खड़े होते हैं, बहुत ही शालीनता से अपनी बात रखते हैं। वे कभी भाषा का संयम नहीं खोते हैं और कभी आक्रामक नहीं होते हैं। वे जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उससे संबंधित एक प्रश्न उन्होंने आज शून्य प्रहर में उठाया और सुझाव के रूप में एक बात रखी कि जो त्रिपक्षीय वार्ता गोरखा जन मुक्ति मोर्चा, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच चल रही है, लगता है कि वह राजनीतिक संवाद ध्वस्त हो गया है। ...(व्यवधान) वह संवाद पुनः प्रारंभ होना चाहिए। मात्र इतनी बात उन्होंने कही। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की और कर भी नहीं सकते क्योंकि उनकी नेता के साथ उनके बहुत स्नेहिल संबंध भी हैं। उन्होंने  अपनी बात सुझाव के रूप में रखी।...(व्यवधान) मुझे नहीं मालूम हमारे तृणमूल कांग्रेस के साथी उस पर क्यों उत्तेजित हो गए। हो भी सकते हैं। वे यह कह सकते थे कि हम उनके सुझाव से असहमत हैं। वे यह भी कह सकते थे कि हमें उनका सुझाव अमान्य है। वहां तक भी ठीक था। ...(व्यवधान) लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उनके एक साथी सांसद जिनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, श्री कल्याण बनर्जी, पहली बार आए हैं, जुझारू सांसद हैं, लेकिन वे गुस्से में आपा खो बैठे और ऐसी हिंसक मुद्रा में इस तरफ बढ़े जैसे जसवंत सिंह जी को मारेंगे।...(व्यवधान) उपाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूँ कि कल्याण जी का आचरण केवल अशोभनीय ही नहीं था, संसद की गरिमा के विपरीत भी था। मैं यहां खड़े होकर कह सकती हूँ कि उनकी नेता को भी वह पसंद नहीं आया होगा। **Ms. Mamata Banerjee will never endorse that behaviour of yours towards Jaswant Singhji.** इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कल्याण दा, आप एक बार खड़े होकर अपने उस आचरण के लिए खेद व्यक्त कर दीजिए। जसवंत सिंह जी जैसे सम्मानित सांसद के प्रति आपका वह आचरण शोभा नहीं देता। उसके बाद सदन चले।

कल भी एक घटना घटी थी जब डा. जोशी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था। मंत्री जी तक ने खड़े होकर अपना शब्द वापिस ले लिया था और संसद चली थी। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप खड़े हों और जो आचरण आपने जसवंत सिंह जी के प्रति किया, उसके लिए खेद प्रकट करें और उसके बाद सदन चले। यह मेरी आपसे दरखास्त है, यह मेरा आपसे निवेदन है।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Mr. Deputy Speaker Sir, it is such a national issue.... (*Interruptions*) He has raised it in a very casual way at the time of Zero Hour. It is a very burning issue in West Bengal. It is going on. Is this the way such casually it can be raised? ... (*Interruptions*) Madam, I must tell you that immediately after this issue, I communicated it to my leader. And my leader has not disapproved my behaviour because I am fighting for my State. I will go on fighting. ... (*Interruptions*) If anybody wants to divide the State to create a separate State of Gorkhaland, directly or indirectly, for his interest or Party's interest, we are not going to tolerate it and we would go till the end to fight for united West Bengal. Any Member, whether it is Senior Member or anyone, if his sentiment is hurt, I regret. ... (*Interruptions*)

At the same time, I would like to tell you that we are not going to compromise with the issue of Gorkhaland. If anybody directly or indirectly tries to bifurcate West Bengal, we will not allow. Sushma ji, I consider you as my elder sister. I had communicated to my leader and my leader has not disapproved my behaviour because the way things are going on and the attempts are going on to break West Bengal, we are not going to allow. ... (*Interruptions*)

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: He has expressed the regret. The matter is over.

14.09 hrs

**STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF NATIONAL
FOOD SECURITY ORDINANCE, 2013
AND
NATIONAL FOOD SECURITY BILL, 2013– Contd.**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Minister.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (PROF. K.V. THOMAS): The Bill seeks to address the issue of food security in a life cycle approach – separate entitlements for pregnant women and children, from six months of age and up to 14 years, besides entitlements to a much larger population to receive subsidized food grains under Targeted Public Distribution System. ... (*Interruptions*)

This Bill seeks to give coverage to 75 per cent and 50 per cent of rural and urban population respectively under TPDS as a single category, with uniform entitlement of 5 kg per person per month. ... (*Interruptions*) The categorisation of the covered household into priority and general category, as in the original Bill, has been done away with as recommended by the Standing Committee. ... (*Interruptions*) This would avoid the problem associated with categorization of beneficiaries. ... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 3.00 p.m.

14.11 hrs

*The Lok Sabha then adjourned
till Fifteen of the Clock.*

15.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fifteen of the Clock.

(Madam Speaker in the Chair)

**RESOLUTION RE: CONDEMNING THE ACTION OF PAKISTAN
ARMY AND CALLING UPON GOVERNMENT OF
PAKISTAN TO ABIDE BY CEASFIRE
COMMITMENT**

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I will place the Resolution before the House.

"This House rejects and deplores the Resolutions passed by the National Assembly of Pakistan on August 13, 2013 and of the Provincial Assembly of Punjab which make absolutely baseless and unfounded allegations against the Indian Army and the people of India.

There should be absolutely no doubt in anyone's mind, including Members of the Pakistan National Assembly, that it was the Pakistan Army that was involved in the unprovoked attack on an Indian Army Patrol on our side of the LoC on August 6, 2013.

It is unfortunate that Pakistan chose to indulge in such unprovoked attacks at a time when efforts were being made to establish a long lasting framework of peaceful, friendly and cooperative ties so that both countries may henceforth devote their resources and energies to the pressing task of advancing the welfare of their people.

India is not a threat to Pakistan or the people of Pakistan. It is the terrorist groups that have been nurtured by Pakistan to target India and have become the biggest threat to the peace in the region.

This House also strongly condemns the action of the Pakistan Army and reiterates once again that the entire State of Jammu & Kashmir, including the territory forcibly and illegally occupied by Pakistan, is an integral part of India and will always remain so. India upholds the sanctity of the Line of Control and calls upon the Government of Pakistan to abide by the ceasefire commitment of 2003 along the international border and Line of Control both in letter and spirit.

This House pays tribute to the courage and valour of the Indian Armed Force personnel who laid down their lives while upholding the sanctity of the Line of Control. Our restraint should not be taken for granted nor should the capacity of our Armed Forces to ensure the territorial integrity of our nation.

I hope the House agrees."

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

The Resolution was agreed by the House.

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet on Monday, the 19th August 2013 at 11 a.m.

15.05 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 19, 2013/Sravana 28, 1935 (Saka).

